प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3 लखनऊः दिनॉक :05 जुलाई, 2016

विषयः- राज्य सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशाली संस्थाओं के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु/विकलांगता तथा बीमारी अथवा चोट के कारण सेवानिवृत्ति की दशा में देय सेवानिवृत्तिक लाभ।

महोदय,

शासन से यह जिज्ञासा की जा रही है कि उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सा-3-1613/दस-2011-301(09)/2011, दिनांक 05-12-2011, संख्या-13/सा-3-393/दस-2014-301(23)/2014, दिनांक 31-10-2014, अधिसूचना संख्या-21/2015/सा-3-1038/दस-2015-301(09)/2011, दिनांक 06-11-2015 तथा शासनादेश संख्या-13/सा-3-180/दस-2016-301(09)/2011, दिनांक 19-05-2016 राज्य सरकार से अनुदानित शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कार्मिकों के सम्बन्ध में लागू होंगे अथवा नही।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली प्रदेश में लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28-03-2005 राज्य सरकार, राज्य सरकार द्वारा अनुदानित ऐसी शिक्षण संस्थाओं तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी स्वायत्तशासी संस्थाओं जिन में दिनांक 01-04-2005 के पूर्व राज्य सरकार की भाँति पेंशन योजना लागू थी, की सेवा में दिनांक 01-04-2005 को अथवा उसके उपरान्त नवनियुक्त कार्मिकों पर समान रूप से लागू है। अतः राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से संबंधित उपर्युक्त समस्त शासनादेश जो सरकारी कर्मचारियों के संबंध में निर्गत किये गये है, उपरि संदर्भित संस्थाओं के कार्मिकों पर समान रूप से लागू होंगे।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित ऐसे किसी कार्मिक की मृत्यु यदि उसके द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में पंजीकरण हेतु आवेदन

--2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

किये जाने/पंजीकरण हो जाने अथवा PRAN आवंटित हो जाने के पूर्व अथवा उपरान्त बिना कोई अभिदान किये हो जाती है तो भी ऐसे कार्मिकों के आश्रितों को उपर्युक्त शासनादेशों का लाभ अनुमन्य होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-23/2016-सा-3-474/दस-2016-301(09)/एस0ए0बी0/2011, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- अपर निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
4- निदेशक, पेंशन निदेशालय, 8 वाँ तल इन्दिरा भवन लखनऊ।
5- चीफ एक्जीक्यूटिव आफीसर, एन0पी0एस0 ट्रस्ट, नई दिल्ली।
6- एक्जीक्यूटिव वाईस प्रेसीडेन्ट, एन0एस0डी0एल0, मुम्बई।
7- चीफ जनरल मैनेजर, पी0एफ0आर0डी0ए0, नई दिल्ली।
8- वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
9- वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा, लखनऊ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।